



दक्षिण मध्य रेलवे
SOUTH CENTRAL RAILWAY

असाधारण राज-पत्र
मानसून अनुदेश-2026

**EXTRA ORDINARY GAZETTE
MANSOON INSTRUCTIONS 2026**

संयुक्त इंजीनियरी, परिचालन व विद्युत परिपत्र-2026
चक्रवातों के लिए कार्य योजना-मौसम की चेतावनी
(अगले संशोधन तक वैध)

**Joint Engineering, Operating &
Electrical Circular-2026**
Action Plan for Cyclones- Weather Warnings
(Valid till further revision)

विषय सूची

क्र.सं.	विवरण
	भाग - क
	पूर्व-मानसून पूर्वोपाय (विषय सूची)
1.	प्रस्तावना
2.	मानसून के आरंभ होने से पहले वरिष्ठ सेक्शन इंजीनियर /(रेलपथ व कार्य) द्वारा की जाने वाली कार्रवाई
3.	वरिष्ठ सेक्शन इंजीनियर /ओएचई व वरिष्ठ सेक्शन इंजीनियर /कार्य, वरिष्ठ सेक्शन इंजीनियर /रेलपथ द्वारा की जाने वाली कार्रवाई.
4.	रेलवे प्रभावित टंकियां (वसेइंजी/रेलपथ)
5.	मानसून से पूर्व कर्षण वितरण कर्मचारियों द्वारा की जाने वाली कार्रवाई.
6.	मौसम चेतावनी संदेश
7.	रेलवे में संदेशों का प्रसार
8.	मानसून के दौरान वरिष्ठ सेक्शन इंजीनियर(रेलपथ) द्वारा की जाने वाली कार्रवाई
	भाग - ख
	बाढ़ और चक्रवात
9.	पूर्वी तट पर चक्रवाती तूफान का खतरा होने पर की जाने वाली कार्रवाई.
10.	चक्रवाती तूफान की दूसरी चरण की चेतावनी प्राप्त होने पर निम्नलिखित कार्रवाई की जाए.
11.	संरक्षा के लिए नुस्खे.(सर्वसंबंधित के लिए सामान्य जानकारी)
	भाग - ग
	अनुबंध
12.	अनुबंध-क : मानसून आपाती रिजर्व स्टॉक
13.	अनुबंध-ख : समीपवर्ती स्टेशन के नामित पुलों पर एनेमोमीटर का स्थान.
14.	अनुबंध-ग : रेलवे प्रभावित टंकियों के लिए राज्य सरकार के मुख्य इंजीनियर / अधीक्षक इंजीनियर/ कार्यपालक इंजीनियर के फोन नंबरों की सूची.
15.	अनुबंध-घ : जलाशय और बांधों से जुड़े पुल और अन्य महत्वपूर्ण पुल.
16.	अनुबंध-च : दक्षिण मध्य रेलवे पर जिलों और संबंधित रेलवे सेक्शनों की सूची, जिनके लिए मौसम की चेतावनी जारी की जाती है.
17.	अनुबंध - छ : बाढ़ रिकॉर्ड के रखरखाव के लिए महत्वपूर्ण पुलों की सूची (आईआरबीएम के पैरा 710, 711 और 712)
18.	अनुबंध - ज : दक्षिण मध्य रेलवे - जल स्तर निगरानी प्रणाली वाले पुलों की सूची

भाग - "क"
(पूर्व मानसून- पूर्वोपाय)

1. प्रस्तावना

1.1 "यह संयुक्त परिपत्र इस विषय पर पहले जारी किए गए सभी संयुक्त परिपत्रों के अधिक्रमण में है"

दक्षिण मध्य रेलवे पर मानसून की अवधि:

दक्षिण पश्चिम मानसून ----- 15 जून से 15 अक्टूबर.

उत्तर पूर्व मानसून ----- 15 सितंबर से 15 जनवरी तक.

(नोट: दोनों ओर से कुछ दिनों तक आगे बढ़ने/विस्तार होने की संभावना है.)

1.2 प्रभावित क्षेत्र:

(i) दक्षिण पश्चिम मानसून:

सिकंदराबाद मंडल

हैदराबाद मंडल

नांदेड मंडल

गुंटूर मंडल

गुंतकल मंडल (उत्तर कडपा)

विजयवाडा मंडल (उत्तर ओंगोल)

(ii) उत्तर पूर्व मानसून:

गुंतकल मंडल: दक्षिण कडपा

विजयवाडा मंडल: दक्षिण ओंगोल

(iii) दक्षिण पश्चिम और उत्तर पूर्व मानसून:

a) आंशिक रूप से विजयवाडा मंडल अर्थात् गूडूर-विजयवाडा सेक्शन के ओंगोल-अम्मनब्रोलु स्टेशनों के बीच

b) गुंटूर मंडल

i. दोनकोंडा - गिदलूर सेक्शन

c) गुंतकल मंडल

i) भाकरापेट-कडपा सेक्शन

ii) चिगीचेर्ला - धर्मवरम सेक्शन

1.3 भारी वर्षा, तूफान और चक्रवात के कारण यातायात में बाधा उत्पन्न हो सकती है. यह संयुक्त परिपत्र, मौसम/चक्रवात के चेतावनी संदेशों की प्राप्ति और संप्रेषण और यात्रियों की संरक्षा, सुरक्षा तथा आराम के लिए तत्काल की जानेवाली कार्रवाई के संबंध में महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश देता है. इसमें मानसून के मौसम के दौरान संबंधित विभागों के संबंधित कर्मचारियों द्वारा किए जाने वाले सभी महत्वपूर्ण पूर्वोपाय शामिल हैं. इस परिपत्र की सामग्री आपात स्थिति से निपटने के हर पहलू के लिए संपूर्ण नहीं है, अतः सभी रेलवे कर्मचारियों को इस तरह की अनिवार्यता के दौरान उत्पन्न होने वाली परिस्थितियों का सामना करने के लिए विवेक के साथ उचित कार्रवाई करनी होगी.

1.4 इस संयुक्त परिपत्र की प्रतिलिपि प्रत्येक नियंत्रण कार्यालय और इंजीनियरी नियंत्रण, कर्षण पावर नियंत्रण कार्यालय, कर्षण लोको नियंत्रण, पावर नियंत्रण, सुरक्षा नियंत्रण, वाणिज्य नियंत्रण, विद्युत नियंत्रण, स्टेशनों, इंजीनियरी, विद्युत व परिचालन विभागों के अधिकारियों और पर्यवेक्षकों के पास भी उपलब्ध होनी चाहिए.

2. मानसून आरंभ होने से पहले वरिष्ठ सेक्शन इंजीनियर (रेलपथ व कार्य) द्वारा की जाने वाली कार्रवाई:

मानसून आरंभ होने से पहले, सेक्शन इंजीनियर और रेलपथ व कार्य कर्मचारियों द्वारा अपनाये जाने वाले पूर्वोपाय निम्न प्रकार हैं :-

2.1 तटबंधों की मरम्मत (वसेइंजी/रेलपथ द्वारा):

- (i) जहां तटबंध खराब स्थिति में हों और उनके फिसलने और धंसने की संभावना हो.
- (ii) कटाओं (स्कोअर) और रट को भरना.
- (iii) ढलान और उप तटबंधों की कमियों को पूरा करना.
- (iv) चूहों द्वारा खोदे गए गड्ढों, दरारों और पिचिंग की मरम्मत करना.
- (v) बरोपिटों की निकासी में सुधार करना.
- (vi) दोहरी लाइन तटबंधों के सेंट्रल ड्रेन के लिए अच्छे आउट लेट उपलब्ध कराना.

2.2 कटावों की मरम्मत (वसेइंजी/रेलपथ द्वारा):

- (i) उन वृक्षों को गिरा देना, जिनके गिरने की संभावना है.
- (ii) वसेइंजी/रेलपथ और वसेइंजी/ओएचई, ओएचई पर गिरने वाले पेड़ों की पहचान करने के लिए एक संयुक्त सर्वेक्षण करेंगे और वसेइंजी/रेलपथ मई के अंत तक इन पेड़ों को काटना सुनिश्चित करेंगे.
- (iii) सिल्टों और घास फूस को हटाने के साथ पार्श्व और कैच जल निकासियों को साफ करना.
- (iv) जल निकासियों में सुधार लाना.
- (v) समपारों में सड़क के आर-पार पार्श्व जल निकासियों की निरंतरता सुनिश्चित करना.
- (vi) पार्श्व ढलानों पर नरम स्थलों पर रिबेटमेंट और पिचिंग कार्य करना.
- (vii) ढलानों पर ढीले बोल्डरों और टूटे हुए पत्थरों को हटाना, यदि संदेह हो, तो चौकीदार तैनात करना, विशेषकर क्षेत्र में भारी वर्षा के दौरान.
- (viii) सुरंगों के पहुंच मार्ग के कटावों पर विशेष ध्यान दिया जाए.
- (ix) तटवर्ती क्षेत्रों में, रेलपथ के साथ-साथ सही पार्श्व जल निकासियां और स्टेशन यार्डों में, जहां कहीं बाढ़ को रोकने की आवश्यकता हो, जल निकासियों की व्यवस्था करना.
- (x) सतह जल निकासियों में सुधार और बोल्डर जल निकासियों की मरम्मत करना और कूड़ा-करकट से बचाव के लिए गड्ढे को भरना.
- (xi) रेल परिपथ में जल संग्रहण को रोकना.
- (xii) अनुलंब और क्रास जल निकासियों का बाहरी बहाव साफ हो.

2.3 पुलों की मरम्मत (वसेइंजी/रेलपथ और वसेइंजी/कार्य द्वारा) :

- (i) दिनांक 05-07-2019 के इंजीनियरी स्थायी आदेश सं. 82 और दिनांक: 07-01-2020 के इंजीनियरिंग स्थायी आदेश सं. 83 के अनुसार वसेइंजी/रेलपथ व वसेइंजी/कार्य द्वारा मानसून पूर्व निरीक्षण और पुलों का रखरखाव किया जाए.
- (ii) अस्त व्यस्त पिचिंग, फ्लोरिंग, ड्राप वाल और सुरक्षात्मक कार्य अर्थात् स्पर्स, ग्रेडलीस और बेल माऊथ की मरम्मत करें.
- (iii) खंभे, तटबंधों और रिटर्न के आस-पास स्थित गड्ढों को भरें.

- (iv) वेंट मार्ग और पानी के मार्ग को डि-सिल्ट करना और इसके अवरोधों को क्लियर करें.
- (v) एचएफएल और खतरा स्तर सही रूप से मार्क करें.
- (vi) यह सुनिश्चित करें कि सभी अवसंरचना बांड और अर्थिंग, पुलों पर बिछी पटरियों, पुल संरचनाओं, पाइप लाइनों/हथ रेलों से जुड़ी हों.
- (vii) आरयूबी / एलएचएस स्थानों में पर्याप्त जल निकासी सुनिश्चित करें. समस्याग्रस्त स्थानों में पम्पिंग की व्यवस्था करें.

2.4 सुरंगों और सुरंग पहुंच मार्गों की मरम्मत(वसेइंजी/रेलपथ द्वारा) :

- (i) अवरोधों को क्लियर करना और ऊपरी जल निकासी में सुधार करें.
- (ii) ट्रांली और मैन रिफ्यूजों को क्लियर करें.
- (iii) पोर्टलों पर कैच और पार्श्व जल निकासियों को क्लियर करें.
- (iv) लाइन सेक्शन की वीप होल को क्लियर करें.
- (v) मेसनरी/कंक्रीट लाइनिंग में ग्राउट और पाइंट दरारों की मरम्मत करें.
- (vi) ढीले प्रोजेक्शनों या खोखले ध्वनि वाले भागों को टैप करें और उन्हें हटाएं.

3. वसेइंजी/ओएचई व वसेइंजी/कार्य तथा वसेइंजी/रेलपथ द्वारा की जाने वाली कार्रवाई :

- 3.1 ओएचई वायर पर गिरने वाले वर्षा जल के किसी भी रिसाव की पहचान करने और उसमें सुधार करने के लिए मानसून की शुरुआत से पहले सभी एफओबी का संयुक्त निरीक्षण किया जाना चाहिए(वसेइंजी/कार्य).
- 3.2 साधारण व सहायक नियम (वसेइंजी/रेलपथ) के पैरा 16.11 के अनुसार कर्षण क्षेत्र पर सभी समपारों पर ऊंचाई गेज की संरक्षा सुनिश्चित करें.
- 3.3 टीएसएस और स्विचिंग स्टेशनों पर संयुक्त निरीक्षण किया जाएगा, ताकि नियंत्रण कत्र की बिल्डिंग की छत से होने वाले पानी का रिसाव, यदि कोई हो, की जाँच की जा सके; साथ ही केबल की दरारों में पानी जमा होने की संभावनाओं का पता लगाया जा सके, दरारों की निकासी की उचित सफाई सुनिश्चित की जा सके और जल निकासी की समग्र स्थिति की जाँच की जा सके.

4. रेलवे प्रभावित टंकियां /उल्लंघन स्थान(वसेइंजी/रेलपथ) :

- 4.1 रेलवे प्रभावित टंकियों की मरम्मत और स्थिति के संबंध में स्थानीय सिंचाई विभाग के प्राधिकारियों के साथ संपर्क स्थापित करें.
- 4.2 समंइंजी, वसेइंजी/कइंजी/रेलपथ और कार्य(रेलवे) तथा तदनुरूपी सविइंजी, उपविइंजी, विइंजी, (सिंचाई विभाग) वीआरओ और एमआरओ/तहसीलदार के नाम और टेलीफोन नंबर, जो पहले से ही स्टेशनों में प्रदर्शित हैं, को प्राधिकृत और अद्यतन किया जाए. रेलवे के लिए इकाई सहायक मंडल इंजीनियर के क्षेत्राधिकार तथा सिंचाई इकाई संबंधित आरएटी के क्षेत्राधिकार में हो, जो रेलपथ, पुलों तथा स्टेशन विशेष के ब्लॉक सेक्शन के दोनों ओर स्थित कालोनियों को प्रभावित कर सकती हैं. अनुबंध "ग" देखें.

4.1 बाढ़ संभावित क्षेत्र :

- (i) बाढ़ संभावित क्षेत्रों और ऐसे क्षेत्रों की पहचान करना, जहां पेड गिरने की संभावना हो.
- (ii) ऐसे क्षेत्रों की पहचान करना, जहां बोल्टों के गिरने की संभावना हो.

4.2 मानसून आपाती रिजर्व स्टॉक :

- 4.2.1 स्थल और मानसून आपाती रिजर्व स्टॉक की निर्धारित मात्रा अर्थात् रेत, बोल्टरों तथा खाली सीमेंट बैग, जिनमें तिरपाल शामिल हैं, संबंधी विवरण अनुबंध "क" में दिए गए हैं. यह सुनिश्चित किया जाए कि मानसून आरंभ होने के पहले तदनुसार सामग्री उपलब्ध करायी जाती है.
- 4.2.2 उल्लिखित मानसून रिजर्व स्टॉक के अलावा, दरार पड़ने और इसके बह जाने की आपाती स्थिति से निपटने के लिए निम्नलिखित सामग्री को वाहनों से ले जाने हेतु तैयार रखा जाए.
- (i) रेणिगुंटा, कृष्णा केनाल, काजीपेट और नांदेड में बाउल्लरों से भरे 10 ढके माल डिब्बे और सिली हुई रेत बोरियों के 10 माल डिब्बे.
 - (ii) काजीपेट, कृष्णा केनाल, रेणिगुंटा और नांदेड में 50 नग इस्पात क्रिब (सुरक्षित रूप से बंधे हुए) सहित बीएफआर पर 16.3 मीटर और 13.4 मीटर लंबाई के प्रत्येक आरएच गर्डर सेट.
 - (iii) हर मानसून से पहले, बहाली के लिए भूमि कार्य मशीनरी जैसे एक्सकावेटर, टिपर, ट्रैक्टर, डोजर आदि, कंक्रीट के लिए रेडी मिक्स प्लांट/एजक्स मिक्शर, एनपी- 4 ह्यूम पाइप, श्रमिकों की सप्लाई, सामग्री जैसे बोल्टर, रेत, खदान की धूल आदि की आपूर्ति के लिए एजेंसी के पते और संपर्क नंबरों की सूची का रख-रखाव किया जाए और उसे अद्यतन किया जाए.

4.3 एनेमोमीटर :

- (i) भारतीय रेल पुल नियमावली के पैरा 717 के अनुसार चुने हुए पुल, जहां तेज हवाएं चलती हैं और वाहन के डूबने का खतरा हो, वहां पुल के किसी नजदीकी स्टेशन पर एनेमोमीटर संस्थापित किए जाए.
- साधारण व सहायक नियम के पैरा 2.11.3 के अनुसार, स्टेशन मास्टर यदि एनेमोमीटर विशेष अनुदेशों द्वारा निर्धारित खतरे के स्तर से अधिक हवा के वेग का संकेत दे रहा है, तो निम्न कार्रवाई करेगा-
- ए. स्टेशन मास्टर, दूसरी ओर के सेक्शन नियंत्रक और स्टेशन मास्टर को तुरंत गाड़ियों के संचलन को नियंत्रित करने की आवश्यकता के बारे में सूचित करेगा.
 - बी. स्टेशन मास्टर अपने स्टेशन से गाड़ियों का संचलन आरंभ करने या उनको अनुमति नहीं देगा और अपने स्टेशन के लिए समीपवर्ती स्टेशन पर प्रतीक्षा कर रही गाड़ियों को लाइन क्लियर नहीं देगा.
 - सी. वह विशेष अनुदेशों द्वारा खतरे के निर्धारित स्तर से कम हवा के वेग के बाद समीपवर्ती स्टेशन के सेक्शन नियंत्रक और स्टेशन मास्टर के परामर्श से गाड़ियों के सामान्य चालन को पुनः बहाल करेगा .
- ii) मानसून से पहले स्थापित एनेमोमीटर को निरंतर बिजली की आपूर्ति (यूपीएस/आईपीएस) स्टेशन के विद्युत, परिचालन और इंजीनियरी पर्यवेक्षकों द्वारा सुनिश्चित की जाए.

5 मानसून के पहले कर्षण वितरण कर्मचारियों द्वारा की जाने वाली कार्रवाई :

5.1 ओएचई के लिए मानसून पूर्व जांच सूची

- i) ओएचई के आस-पास लगे बैनरों/होर्डिंगों/पतंग की डोरी को हटाया जाना सुनिश्चित करें.
- ii) रेलपथ के निकट स्थित जड़ से उखड़े पेड़/कमजोर पेड़/झाड़ियां/बेलों को पहचानना और तना काटने/पूरे पेड़ को हटाने के लिए इंजीनियरी विभाग को तत्काल सूचित करें. ऐसे पेड़ जो h + 3m के भीतर हों और रेलपथ की ओर झुके हों उन्हें प्राथमिकता के आधार पर हटाया जाए .

- iii) रेलपथ की ओर के पेड़ की शाखाओं की ट्रिमिंग सुनिश्चित करें ताकि रेलपथ की मध्य रेखा से 4 मीटर की स्पष्ट दूरी हो. सदस्य (इंजीनियरिंग) और सदस्य (विद्युत) द्वारा जारी दिनांक 08.6.1998 के संयुक्त परिपत्र के अनुसार विद्युतीकृत मार्ग पर निकटतम ट्रैक से 4 मीटर की दूरी के भीतर सभी पेड़ों को इंजीनियरिंग विभाग द्वारा प्राधिकृत टीआरडी कर्मचारियों की उपस्थिति में काटा जाना चाहिए. बोर्ड द्वारा पत्र संख्या 98/इलेक्ट(जी)/113/7/एसीटीएम, दि.11/10/02 के अंतर्गत इसे दोहराया गया है.
- iv) झुके हुए महत्वपूर्ण मस्तूलों का पता लगाएं और इन्हें प्रतिस्थापित करें.
- v) ओएचई मास्ट की स्थिरता के संबंध में मिट्टी के किसी भी कटाव के लिए तटबंधों की स्थिति की जाँच करें. मिट्टी के कटाव के मामले में, इंजीनियरी विभाग/मास्ट स्थान पर स्थित विद्युत कर्षण द्वारा पत्थर की पिचिंग की जाए. वरिष्ठ मंडल विद्युत इंजीनियर/क.वि. द्वारा ऐसे स्थानों की सूची इंजीनियरी विभाग को दी जाए. इंजीनियरी विभाग द्वारा साफ-सफाई के बाद ओएचई फाउंडेशन के आसपास बारिश के पानी की उचित निकासी सुनिश्चित की जाए ताकि ओएचई फाउंडेशन को कमजोर होने से बचाया जा सके.
- vi) टॉवर वैगन शेड के प्रवेश/निकास द्वार पर रेलपथ की स्थिति अर्थात् किसी भी प्रकार के रेलपथ सिकेज या पटरी के टूटने आदि की जांच करें.
- vii) इन प्रदूषित क्षेत्रों में 1600 मिमी लम्बे क्रीपेज के कम्पोजिट इंसुलेटरों की योजना मंडल द्वारा शीघ्रातिशीघ्र बनाई जाए .
- viii) टूटे /कटे हुए इन्सुलेटरों को प्रतिस्थापित करें.
- ix) सभी पोर्टल संरचनाओं, कर्षण मस्तूलों और टीटीसी पर मौजूद पक्षियों के घोंसलों को हटाएं.
- x) प्लैटफार्म स्टील संरचनाओं, प्लैटफार्म फेन्सिंगों, ऊपरी सड़क पुल, सीओपी आदि के भूमि प्रतिरोधिता की जांच करें और इनमें खराबियों की मरम्मत करें यदि आईईआर 10Ω से अधिक है . ऊपरी सड़क पुल/निचले सड़क पुल के लिए सुरक्षात्मक स्क्रीनों की उपलब्धता, फर्श में दरार या छेद न होने के साथ-साथ विशेष रूप से ओएचई से ऊपर के स्थानों में ऊपरी सड़क पुल / ऊपरी पैदल पुल के सुरक्षात्मक स्क्रीन और फर्श के बीच छिद्रों का निरीक्षण करें, यदि अपेक्षित हो इंजीनियरी विभाग द्वारा उनकी मरम्मत की जाए. बरसात के मौसम में पानी गिरने से बचने के लिए ऊपरी सड़क पुल पर किसी भी छेद को बंद कर दें जो ओएचई से ऊपर हो.
- xi) ऊपरी पैदल पुल / ऊपरी सड़क पुल पर कोई केबल/ वायर खुला लटक तो नहीं रहा है, यदि उचित रूप से संरक्षित न हो तो उसे हटा दें .
- xii) ऊपरी पैदल पुल और ऊपरी सड़क पुल के नीचे के प्रतिबंधित क्लियरेंस क्षेत्रों का निरीक्षण करें और अनुमोदित आरेख प्रोफाइल के अनुसार उनकी मरम्मत करें.
- xiii) गाडी के फुट स्टेप के अतिलंघन से बचने के लिए प्लेटफॉर्म बॉन्ड के लिए डबल क्लीट का प्रावधान किया जाए.
- xiv) निर्बाध संचलन के लिए सभी एटीडी को सक्रिय करें.
- xv) बांड्स की स्थिति सुनिश्चित करें.
- xvi) कैंटी लीवर एसेंबलियों के स्विवलिंग एक्शन और प्लंबिंग सुनिश्चित करें.

- xvii) सेक्शन इंसुलेटर की सफाई करें, विशेषकर प्रदूषण प्रभावित क्षेत्रों में या जहां अंडर वायर डीजल का उपयोग अधिक होता हो.
- xviii) पीटीएफई न्यूट्रल सेक्शनों पर निर्धारित क्लियरेंस सुनिश्चित करें. पीटीएफई स्थलों पर अर्थ एलेक्ट्रोड के लिए अर्थ कनेक्शन की जांच करें.
- xix) अक्सर ट्रिपिंग वाले सीबीएस की गणना करें, कारणों को पहचाने और अपेक्षित कार्रवाई करें.
- xx) मोटर ट्रालियों और टॉवरों की स्थिति की पुनरीक्षा करें और यदि कोई खराबी हो तो उसे ठीक करें.
- xxi) डीजी सेटों का कार्यचालन और पर्याप्त डीजल तेल की उपलब्धता सुनिश्चित करें.
- xxii) सभी समपारों पर ऊंचाई गेजों की संरचनात्मक मजबूती सुनिश्चित करें और यदि कोई खराबी हो तो उसकी सूचना इंजीनियरी विभाग को दें.
- xxiii) गार्डिंग सहित ऐसे संवेदनशील 33 केवी और उसके ऊपर के पावर लाइन क्रॉसिंग का पता लगाएं, जो ओएचई पर गिर सकते हैं और डिसकम/ट्रांसको के संबंधित पदाधिकारियों की मदद से इनकी मरम्मत करें. रेलवे बोर्ड द्वारा उनकी कार्ययोजना 2024-25 में दी गई सूचना के अनुसार 66 केवी तक की पावर लाइन क्रॉसिंग को प्राथमिकता के आधार पर यूजी बनाया जाना चाहिए.
- xxiv) वरि.सेइंजी/रेलपथ और वसेइंजी/सिगनल को यह सलाह दें कि वे सुनिश्चित करें कि पटरियों के बांड्स, ओएचई मास्ट, पाइप लाइन/ हस्त रेलें आदि को न हटाएं, जिस पर बांडिंग और अर्थिंग उपलब्ध हो क्योंकि इन्हें हटाये जाने पर रेल कर्मचारी/यात्री दुर्घटनाग्रस्त हो सकते हैं. इसे आईआरपीडब्ल्यूएम पार्ट-एफ क्र.सं. 664, क्लॉज-एच और रेलवे बोर्ड के दि. 17.08.2012 के संयुक्त पत्र में भी दोहराया गया, जिस पर सिविल इंजीनियरिंग (यो) और इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैनेजमेंट द्वारा हस्ताक्षर किए गए हैं.
- xxv) वरि.सेइंजी/रेलपथ को सूचित किया जाए कि निर्मुक्त पटरी को रेलपथ से सटाकर उसके समांतर न रखें और यदि लंबी पैनल पटरी को हटाया गया हो तो उन्हें कार्य-स्थल से हटाने तक बांड से जोड़े रखें.
- xxvi) सुनिश्चित करें कि सही बांडिंग के लिए सभी याडों में सिगनल व दूरसंचार के साथ संयुक्त जांच की गई है और देखी गई त्रुटियों को प्राथमिकता के आधार पर ठीक किया जाता है.
- xxvii) सभी खराब वाहनों, टावर कारों की हेडलाइट्स को अतिरिक्त लैंप सहित अच्छे कार्यचालन स्थिति में रखा जाना चाहिए.

5.2 मानसून पूर्व जांच सूची – पावर सप्लाई संस्थापन (पीएसआई)

- i) सर्किट ब्रेकरों, इंटरप्टर्स, पावर ट्रांसफार्मरों और आक्सिलरी ट्रांसफार्मरों के ब्रेथर्स में सिलिका जेल को बदल दें.
- ii) जल रिसाव को रोकने के लिए स्विच गियर स्टेशनों और कर्षण उप स्टेशनों में स्विच गियर के सभी क्यूबीकल्स के गैस्केटों की जांच करें.
- iii) वर्षाजल की निर्बाध रूप से निकासी के लिए सभी स्विचिंग पोस्टों पर जल निकासी व्यवस्था की जांच करें तथा उसे साफ करें और स्थिति के बारे में रजिस्टर में दर्ज करें.

- iv) कर्षण उप स्टेशनों और स्विचिंग स्टेशनों में सभी उपस्करों के क्यूबीकल्स में हीटरों के कार्यचालन की जांच करें. और संबंधित रजिस्टर में दर्ज करें.
- v) आक्सिलरी ट्रांसफार्मरों आदि के अर्थ रेसिस्टेंस की जांच करें और इनकी मरम्मत करें. निर्बाध सिगनल सप्लाई के लिए डिपो प्रभारी स्तर पर दोषपूर्ण एटी स्थलों की सामान्य सेवाओं और कर्षण वितरण/पीएसआई की संयुक्त जांच सुनिश्चित करें.
- vi) ब्रिजिंग इंटरप्टर्स इन्सुलेटरों की अच्छी स्थिति सुनिश्चित करें.
- vii) बिजली गिरने के संभावित क्षेत्रों में, लाइटनिंग एरेस्टर की उपयुक्तता की जांच करें.

5.3 वसेइंजी/सिगनल, वसेइंजी/ओचई/पीएसआई और वसेइंजी/विद्युत अनुरक्षण द्वारा संयुक्त कार्रवाई-

- (i) स्टेशन, समपार फाटकों, आईबीएस और ऑटो हट पर ऑक्सिलरी ट्रांसफार्मर (एटी) से सीएलएस पैनल से बिजली आपूर्ति व्यवस्था और टीएसएस/एसपी/एसएसपी पर अर्थ से कनेक्शन के लिए 230 वी एसी आपूर्ति का भी संयुक्त निरीक्षण सुनिश्चित करें.
- (ii) एटीएस से बिजली की आपूर्ति की विफलता के मामले में सिगनलिंग सिस्टम को बैक-अप बिजली की आपूर्ति की उपलब्धता सुनिश्चित करें.
- (iii) 230 वोल्ट एसी आपूर्ति की विफलता की स्थिति में टीएसएस / एसपी / एसएसपी में संचार उपस्करों के लिए बैटरी बैकअप सुनिश्चित करें.
- (iv) ग्ल्यू जाइंट /इन्सुलेशन जाइंटों के सभी जेड-बॉन्ड संपूर्ण रूप से उपलब्ध और प्रभावी हैं. रेल परिपथ के पॉजिटिव (+ve) पटरी के नीचे से गुजरने वाली सभी बॉन्डिंग स्ट्रिप्स को इंसुलेशन स्लीव के साथ उपलब्ध कराया गया है.
- (v) सीएलएस पैनल पर ए.टी. सप्लाई – दोहरी/तिहरी लाइन सेक्शनों में डिफॉल्ट सेटिंग को हर 15 दिनों में अप एटी से डाउन एटी में परिवर्तित किया जाए.

5.4 वसेइंजी/ विद्युत / अनुरक्षण द्वारा कार्रवाई:

- (i) एयर कंडीशनिंग सहित विभिन्न विद्युत फिटिंग और उनकी वायरिंग की उनके सही कार्यचालन सुनिश्चित करने के लिए संयुक्त रूप से निरीक्षण करें.

6. मौसम चेतावनी संदेश :

6.1 जब कभी तूफान/आंधी या भारी वर्षा की संभावना हो, भारत सरकार के मौसम विज्ञान विभाग के पास फैक्स तथा ई-मेल से संदेश ,चेतावनी प्राप्त करने की व्यवस्था भी उपलब्ध है. ये संदेश मुख्यालय स्थित केंद्रीय नियंत्रण कार्यालय में प्राप्त होते हैं.

जिन परिस्थितियों में चेतावनी जारी की जाती है, वे निम्न प्रकार हैं :-

- (क) वर्षा की मात्रा जो खतरनाक मानी जाती है - 24 घंटे में 5 सेंटी मीटर और उससे अधिक वर्षा
- (ख) हवा की गति जो खतरनाक मानी जाती है - प्रति घंटा 65 किलोमीटर और उससे अधिक.
- (ग) अवधि जब चेतावनी दी जाती है - वर्ष भर

6.2 चक्रवात के संबंध में मौसम बुलेटिन में प्रयुक्त शब्दावली :

6.2.1 चक्रवात

गड़बड़ी के प्रकार :	संबंधित हवा की गति	
	नॉट	कि.मी.प्र.घं.
कम दबाव वाले क्षेत्र	17 से कम	31 से कम
दबाव	17-27	31-49
गहरा दबाव	28-33	50-61
चक्रवाती आंधी	34-47	62-88
प्रचंड चक्रवाती आंधी	48-63	89-117
अधिक प्रचंड चक्रवाती आंधी	64-90	118-167
अत्याधिक प्रचंड चक्रवाती आंधी	91-119	168-221
सूपर चक्रवाती आंधी	> 119	> 221
	(1 नाट = 1.852 कि.मी.प्र.घं.)	

6.2.2 वर्षा की प्रबलता :

विवरण	मिमी में वर्षा की मात्रा
कोई वर्षा नहीं	0.0
बहुत कम	0.01 to 0.04
बहुत हल्की वर्षा	0.1- 2.4
हल्की वर्षा	2.5 – 15.5
सामान्य वर्षा	15.6 – 64.4
भारी वर्षा	64.5 – 115.5
बहुत भारी वर्षा	115.6 – 204.4
अत्यंत भारी वर्षा	> 204.4
असाधारण रूप से भारी वर्षा	जब एक दिन में प्राप्त की गई मात्रा, महीने या मौसम के लिए स्टेशन पर या उसके आस-पास दर्ज की गई सबसे अधिक वर्षा के लगभग हो. हालांकि, इस शब्दावली का उपयोग केवल तभी किया जाएगा, जब वास्तविक वर्षा की मात्रा 12 सेमी से अधिक हो.

6.2.3 स्थानिक वितरण :

वितरण	स्थानों की संख्या	विवरण
पृथक	पृथक स्थानों पर	क्षेत्र (आमतौर पर मौसम विभाग का उप मंडल) के 25% या उससे कम स्टेशन, जो कम से कम 2.5 मिमी वर्षा दर्ज करते हैं.
बिखरे हुए	कुछ स्थानों पर	क्षेत्र (आमतौर पर मौसम विभाग का उप मंडल) के 26% से 50% तक के स्टेशन, जो कम से कम 2.5 मिमी वर्षा दर्ज करते हैं
फैले हुए	कई स्थानों पर	क्षेत्र (आमतौर पर मौसम विभाग का उप मंडल) के 51% से 74% तक के स्टेशन, जो कम से कम 2.5 मिमी वर्षा दर्ज करते हैं .
बहुत फैले हुए	अधिकांश स्थानों पर	क्षेत्र (आमतौर पर मौसम विभाग का उप मंडल) के 75% या उससे अधिक स्टेशन, जो कम से कम 2.5 मिमी वर्षा

		दर्ज करते हैं .
सूखा	-	क्षेत्र के किसी भी स्टेशन ने वर्षा दर्ज नहीं की

6.2.4 सामान्य मौसम चेतावनी

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग द्वारा संदेश भेजा जाना.

दक्षिण मध्य रेलवे को मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद और विशाखापटणम के संबंधित मौसम विज्ञान विभाग केंद्रों से फैक्स और ईमेल के माध्यम से मौसम की चेतावनी के संदेश मिलते हैं.

आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्यों के लिए हैदराबाद में; कर्नाटक राज्य के लिए बेंगलुरु में और महाराष्ट्र राज्य के लिए मुंबई में राज्य मौसम विज्ञान केंद्र कार्य करते हैं. इसके अलावा, विशाखापटणम में चक्रवात चेतावनी केंद्र स्थापित किया गया है. मौसम चेतावनी संदेश निम्न से दिए जाते हैं:

- महाराष्ट्र के जिलों के लिए क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र, कोलाबा, मुंबई.
- तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के जिलों के लिए राज्य मौसम विज्ञान केंद्र, हैदराबाद एयरपोर्ट, हैदराबाद.
- चक्रवात चेतावनी केंद्र, आंध्र विश्वविद्यालय कैंपस, विशाखापटणम विशेष रूप से तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के जिलों के लिए चक्रवातों से संबंधित मौसम चेतावनी बुलेटिन जारी करता है.
- कर्नाटक के जिलों के लिए राज्य मौसम विज्ञान केंद्र, एच.ए.एल. हवाई अड्डा, बेंगलुरु.

6.2.5 वेब साइट का पता :

क्र.सं.	क्र.सं.	वेबसाइट
1	आईएमडी हैदराबाद	http://www.imdhyderabad.gov.in https://mausam.imd.gov.in/hyderabad
2	आईएमडी मुंबई	http://www.imdmumbai.gov.in https://mausam.imd.gov.in/mumbai/
3	आईएमडी बेंगलूरु	http://www.imdbangalore.gov.in https://mausam.imd.gov.in/bengaluru/
4	चक्रवात चेतावनी केंद्र, विशाखापटणम	http://www.cwcvsk.gov.in https://mausam.imd.gov.in/visakhapatnam/

7 रेलवे के भीतर संदेशों को प्रसारित करना

नियंत्रण कार्यालय में ई-मेल/फैक्स द्वारा मौसम/चक्रवात चेतावनी संदेश प्राप्त होने पर निम्नलिखित कार्रवाई की जाए :-

7.1 केंद्रीय नियंत्रण, रेल निलयम, सिकंदराबाद - 500 025.

- मुख्य नियंत्रक संदेश की एक प्रति सभी नियंत्रण अर्थात् इंजीनियरी नियंत्रण, कर्षण पावर नियंत्रण, कर्षण लोको नियंत्रण, पावर नियंत्रण, सुरक्षा नियंत्रण, वाणिज्य नियंत्रण, विद्युत नियंत्रण, टेस्ट रूम और संबंधित मंडल नियंत्रण कार्यालय को देगा. इन नियंत्रणों की यह जिम्मेदारी होगी कि किसी संभावित घटना से निपटने के लिए तैयार रहने हेतु आवश्यक कदम उठाने के लिए वे अपने विभागों के संबंधित अधिकारियों, पर्यवेक्षकों और सर्वसंबंधितों को सूचित करें. उन्हें चाहिए कि वे उन व्यक्तियों के नाम व पदनाम, समय और तारीख के साथ दर्ज करें, जिन्हें यह संदेश दोहराया और भेजा गया है.

- ii) केंद्रीय नियंत्रण का मुख्य नियंत्रक, मंडल नियंत्रण (एफओआईएस) को भी एक संदेश भेजेगा.
- iii) मौसम संबंधी चेतावनी संदेशों के संबंध में जिलों और संबंधित रेलवे सेक्शनों की सूची, सभी संबंधितों द्वारा कार्रवाई के लिए अनुबंध-ई में है.

7.2 मंडल नियंत्रण कार्यालय द्वारा कार्रवाई :

- i) मंडल नियंत्रण कार्यालय का मुख्य नियंत्रक संदेश की प्रति सभी नियंत्रणों अर्थात् इंजीनियरी नियंत्रण, कर्षण पावर नियंत्रण, कर्षण लोको नियंत्रण, पावर (डीजल) नियंत्रण, सुरक्षा नियंत्रण, वाणिज्य नियंत्रण, विद्युत नियंत्रण और टेस्ट रूम को देगा. इन नियंत्रणों की यह जिम्मेदारी होगी कि किसी संभावित घटना से निपटने के लिए तैयार रहने हेतु आवश्यक कदम उठाने के लिए वे अपने विभागों के संबंधित अधिकारियों, पर्यवेक्षकों और सर्वसंबंधितों को सूचित करें. उन्हें चाहिए कि वे उन व्यक्तियों के नाम व पदनाम, समय और तारीख के साथ दर्ज करें, जिन्हें यह संदेश दोहराया और भेजा गया है.

सेक्शन नियंत्रक इस संदेश को अपने क्षेत्राधिकार में आनेवाले उन स्टेशनों के स्टेशन मास्टरों को दोहराएगा, जिनके प्रभावित होने की संभावना है और उन ड्यूटीरत स्टेशन मास्टरों के नाम दर्ज करेगा, जिन्हें संदेश दोहराया गया है.

टिप्पणी : ऐसे सेक्शनों के मामले में, जो नियंत्रण के अधीन नहीं है या जब कंट्रोल फोन में व्यवधान हो, तो मुख्य नियंत्रक या उसकी अनुपस्थिति में उप मुख्य नियंत्रक द्वारा उपर्युक्त पदाधिकारियों को उपलब्ध अन्य किसी संचार माध्यम अर्थात् रेलवे आटो फोन डब्ल्यूएलएल/सीयूजी फोन, जैसा भी मामला हो, द्वारा "एक्सएक्सआर" (तत्काल) संदेश जारी किया जाए.

- ii) मौसम विज्ञान विभाग से प्राप्त मौसम/चक्रवात चेतावनी संदेश की प्रस्तावना और विषय वस्तु को एक्सएक्सआर संदेश पाठ में शब्दशः लिखा जाए. संदेश का विषय निम्नप्रकार होगा :-

क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र (यहां मौसम-विज्ञान केंद्र का नाम लिखें) एक्स एक्स डब्ल्यू/000 (मौसम विज्ञान विभाग द्वारा प्रयुक्त श्रेणी लिखें) के दि. .
 (मूल संदेश की तारीख) का संदेश कूट (मूल संदेश का कूट समय लिखें) इस प्रकार पढ़ा जाए (मौसम विज्ञान के संदेश का विषय शब्दशः दोहराएं).

- iii) प्रत्येक विभाग के प्रत्येक नियंत्रण कार्यालय अर्थात् इंजीनियरी, विद्युत आदि में एक रजिस्टर रखा जाना चाहिए, जिसमें मौसम/चक्रवात चेतावनी संदेशों की प्राप्ति और उन पर की गई कार्रवाई का पूरा विवरण, चेतावनी संदेश की प्राप्ति की तारीख और समय, संदेश की पूरी विषयवस्तु, संबंधित पदाधिकारियों को टेलीफोन पर सूचना देने की तारीख और समय तथा ड्यूटीरत स्टेशन मास्टर का नाम, जिसे संदेश दोहराया गया है, का विवरण दर्शाया जाए.

7.3 स्टेशन मास्टर द्वारा कार्रवाई :

7.3.1 कर्मचारियों को सूचना :

सेक्शन नियंत्रक से मौसम/चक्रवात चेतावनी सूचना प्राप्त होने पर स्टेशन मास्टर निम्नलिखित कार्यवाई करेगा :

स्टेशन, जहां पर सहायक मंडल इंजीनियर/वरि.सेक्शन इंजीनियर (कार्य)/वरि.सेक्शन इंजीनियर (रेलपथ), समंविइंजी/क.वि, वरि.सेक्शन इंजीनियर (ओएचई/पीएसआई) मुख्यालय में हो, वहां झूटीरत स्टेशन मास्टर, सेक्शन नियंत्रक से प्राप्त संदेश की शब्दशः प्रति, संबंधित पदाधिकारी को सौंपेगा और उसकी पावती लेगा. यदि सहायक मंडल इंजीनियर/वरि.सेक्शन इंजीनियर (कार्य)/वरि.सेक्शन इंजीनियर (रेलपथ), समंविइंजी (कर्षण/वसेइंजी/ओएचई/पीएसआई) मुख्यालय में न हो, तो स्टेशन मास्टर, झूटीरत नियंत्रक को सूचित करेगा, जो यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होगा कि मंडल मुख्यालय के इंजीनियरी एवं कर्षण वितरण अधिकारियों को संदेश का शब्दशः पाठ सूचित किया जाता है.

प्राप्ति की तारीख और समय	संदेश की पूरी विषयवस्तु	पदाधिकारी का नाम व पदनाम, जिसे संदेश दोहराया गया है	स्टेशन मास्टर के हस्ताक्षर	मौसम की वास्तविक स्थिति
--------------------------	-------------------------	---	----------------------------	-------------------------

संदेश की कार्यालय प्रति, जिस पर पावती ली गयी है, रजिस्टर में चिपकायी जाए.

7.3.2 भारी वर्षा और तेज हवाओं के दौरान, गाड़ियों के नियंत्रण के संबंध में स्टेशन मास्टर, लोको पायलट/ सहायक लोको पायलट और गार्ड द्वारा किए जाने वाले पूर्वोपाय.

- जब मौसम विज्ञान विभाग से चेतावनी संदेश प्राप्त हुआ हो, जिसमें चक्रवात, तूफान या तेज हवाओं का पूर्वानुमान लगाया गया हो, और/या यात्रियों, गाड़ियों आदि की सुरक्षा को खतरे में डालनेवाले भीषण तूफान के आने की पर्याप्त आशंका हो, तब स्टेशन मास्टर, गाड़ियों के गार्ड और लोको पायलट/सहायक लोको पायलट के परामर्श से गाड़ी को विनियमित करेगा और जब तक कि तूफान थम नहीं जाता और गाड़ियों के संचलन को वह सुरक्षित नहीं समझता है, तब तक अपने स्टेशन की ओर आनेवाली गाड़ियों को लाइन क्लियर देने से भी मना करेगा.
- यदि चलती गाड़ियां चक्रवात, तूफान या ऐसी तेज हवाओं में फंस जाए, जो लोको पायलट/सहायक लोको पायलट के विचार से गाड़ियों की संरक्षा के लिए खतरनाक हो, तो वह गाड़ियों की गति को तत्काल नियंत्रित करेगा और सबसे पहले सुविधाजनक स्थान पर गाड़ियों को रोक देगा. ऐसा करते समय वह यथासंभव यह ध्यान रखेगा कि गाड़ियां तेज घुमावों, ऊँचे तटबंधों और पुलों (उनके पहुँच मार्गों सहित) पर नहीं खड़ी की जाती है. लोको पायलट गाड़ियों की गति को नियंत्रित करने तथा गाड़ियों को सावधानीपूर्वक और बिना झटका दिए रोकेगा. वह गार्ड के परामर्श से गाड़ियों को पुनः तभी चलायेगा, जब चक्रवात, तूफान और तेज़ हवाएं थम जाएं और गाड़ियों को आगे ले जाना सुरक्षित हो.
- गाड़ियों में यात्रा कर रहे रेल कर्मचारियों के सहयोग से गाड़ियों के गार्ड और लोको पायलट/सहायक लोको पायलट यह देखें कि यात्रियों द्वारा डिब्बे की खिड़कियां और दरवाजे खुले रखे जाएं ताकि डिब्बों में हवा का आवागमन बिना किसी रुकावट हो सके.
- लोको पायलट और गार्ड को चाहिए कि वे गाड़ी की सुरक्षा स. नि 6.03 के अनुसार करें.
- विद्युतीकृत क्षेत्र में, तूफान/हरीकेन/तेज आंधी की स्थिति में, लोको पायलट/मोटरमैन स्वयं के और गुजरने वाली विद्युत गाड़ी के पैंटोग्राफ पर नजर रखेगा तथा किसी भी प्रकार की असामान्यता पाये जाने पर, यथाशीघ्र टीपीसी/टीएलसी को इसकी सूचना देगा, यदि वह पैंटोग्राफ में कोई गंभीर खराबी देखता है, जिसके कारण ओएचई को क्षति पहुंचने की

संभावना हो, तो वह तुरंत गाड़ी रोक देगा और ड्यूटीरत टीपीसी/टीएलसी को इससे संबंधित विवरण देगा और पैंटो को झुका देगा.

- (vi) भारी वर्षा/तूफान/चक्रवात और रेलपथ पर पानी के बहाव के दौरान, लोको पायलट को पालन किये जाने वाले गति प्रतिबंध के स्पष्ट उल्लेख सहित सतर्कता आदेश और गाड़ी के साथ जाने वाले या गाड़ी को पायलट करने वाले पदाधिकारी के नाम और पदनाम सहित जारी किया जाए.

8. मानसून के दौरान वरि.सेक्शन इंजीनियर (रेलपथ) द्वारा कार्रवाई :

8.1 चेतावनी संदेश की प्राप्ति के बाद की जाने वाली कार्रवाई:

- (i) मौसम/चक्रवात की चेतावनी प्राप्त करने पर वरि.सेक्शन इंजीनियर (रेलपथ) को चाहिए कि वे मानसून गश्त कर्मचारियों/चौकीदारों और गैंगमेट को और अधिक सतर्क रहने की सूचना दें. साफ मौसम में उनको चाहिए कि वे यथाशीघ्र मानसून गश्त आरंभ करें और सभी संवेदनशील स्थलों और पुलों पर दिन और रात में, मौसम/चक्रवात चेतावनी संदेश में विनिर्दिष्ट अवधि के आगे, 48 घंटों तक आवश्यकतानुसार चौकीदार को भी तैनात करें.
- (ii) वरि.सेक्शन इंजीनियर (रेलपथ), जहां तक संभव हो, चेतावनी की अवधि के दौरान और उसके बाद 48 घंटों तक ट्राली से अपने सेक्शन का निरीक्षण भी करें.
- (iii) यह सुनिश्चित करें कि पटरियों, पुलों, समांतर अवसंरचनाओं जैसे हैंड रेल/पाइपों आदि से बांडों को न हटाया जाए.

8.2 मानसून गश्त :

आरंभ और समाप्त : स्थानीय परिस्थितियों की आवश्यकतानुसार, संबंधित सेक्शन का वसेइंजी/रेलपथ, सर्वसंबंधित को विधिवत् सूचित करते हुए, विनिर्दिष्ट तारीखों के अलावा अन्य दिनों में भी रात में गश्त लगाना आरंभ करें और इसे जारी रखें. (आईआरपीडब्ल्यूएम 2020 का पैरा 1004(1)).

अन्य शब्दों में, वह विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर मानसून गश्त को बंद या समाप्त नहीं कर सकता है. सभी मंडलों के परिचालन नियंत्रक, मौसम/तूफानी चेतावनी संदेशों के प्राप्त होने के तत्काल बाद सर्वसंबंधितों को नियंत्रण संदेश भेजेंगे. निरीक्षण करने वाले पदाधिकारियों की सूचना के लिए संबंधित स्टेशन मास्टर के कक्ष में मानसून गश्त लगाने वाले कर्मचारियों के नाम और गश्त आरंभ करने से संबंधित विवरण उपलब्ध होने चाहिए.

8.3 संवेदनशील स्थल (पाइंट) : मानसून अवधि के दौरान प्रत्येक नामित स्थल पर चौबीसों घंटे स्थायी चौकीदार को तैनात किया जाए. (आईआरपीडब्ल्यूएम 2020 का पैरा 1006(3)).

8.4 संकेत बोर्ड :

संवेदनशील स्थलों पर इकहरी लाइन के दोनों ओर और दोहरी लाइन पर दिशा-वार केवल मानसून अवधि के दौरान स्थल के पीछे ब.ला. पर 1200 मी. की दूरी पर "C" संकेत बोर्ड लगाये जाएंगे और संवेदनशील स्थल/पुल के आगे सबसे लंबी माल गाड़ी की लंबाई तक "I" संकेत बोर्ड लगाए जाएंगे. (सावस नियम 2020 के परिशिष्ट- IV के पैरा 9.8 के अनुसार).

8.5 जलाशयों और बांध वाले पुलों की मानिटरी :

मानसून के दौरान अधिकतर जलाशयों और बांधों में भारी वर्षा के कारण निरंतर जल का प्रवाह होता रहता है, जब कभी जल-स्तर अनुमत सीमा से अधिक हो जाता है. बांध और जलाशय प्राधिकारी अतिरिक्त जल को निर्मुक्त कर देते हैं. इस अवधि के दौरान संबंधित पदाधिकारियों को चाहिए कि वे जलाशयों और बांध से जुड़े पुलों के आरोही बहाव पर निगरानी रखें और समयोपरि कार्रवाई करें. जल को निर्मुक्त करने से पहले, संदेश प्राप्त करने के लिए इन प्राधिकारियों के साथ

संपर्क स्थापित किया जाए, जलाशय और बांधों से जुड़े पुलों तथा अन्य महत्वपूर्ण पुलों का विवरण "अनुबंध-डी" में दिया गया है.

8.6 गैंगमेट द्वारा कार्रवाई : आईआरपीडब्ल्यूएम 2020 का पैरा 1129(4) (a व b)

सूचना प्राप्त होने पर गैंगमेट को चाहिए कि वह निम्नलिखित कार्रवाई करे :

- (i) साफ मौसम के दौरान, गैंगमेट ब्लाक सेक्शन में दोनों तरफ गश्त लगाने और मध्यवर्ती गैंगमेटों को सावधान करने के लिए गश्त उपस्करों सहित दो विश्वसनीय गैंगमैन को स्वयं तैनात करें.
- (ii) मानसून अवधि के दौरान, स्टेशन/यार्ड गैंग का गैंगमेट मध्यवर्ती गैंगमेटों, गश्तियों और चौकीदारों को सावधान करने के लिए दो ट्रैकमैन को विपरीत दिशाओं में भेजें.
- (iii) मानसून या साफ मौसम में अत्यधिक भारी वर्षा या भीषण तूफान हो तो गैंगमेट और ट्रैकमैन को चाहिए कि वे भारतीय रेल रेलपथ नियमावली 2020 के पैरा 1003, 1006 और पैरा 1004 (8) में दिए अनुदेशों के अनुसार गैंग गश्त करें.

8.7 कर्षण पावर नियंत्रक द्वारा कार्रवाई :

मंडल के कर्षण पावर कंट्रोलर को चाहिए कि वे तुरंत "सभी संबंधित संदेश" "एसी रजिस्टर" के माध्यम से प्रभावित होने की संभावना वाले सेक्शन के सभी संबंधित सेक्शनों के समविंडजी, ओएचई/ पीएसआई डिपो के प्रभारी को मौसम / चक्रवात चेतावनी संदेश शब्दशः दोहराए. और फिर किसी भी घटना से निपटने के लिए तैयार रहने के लिए पर्याप्त कदम उठाए और फिर टेलीग्राम की विषयवस्तु को मंडल मुख्यालय कार्यालय में संबंधित अधिकारियों को व्हाट्सएप के माध्यम से भी परिपत्रित करें. टीपीसी हमेशा स्थिति से निपटने के लिए त्वरित और त्वरित कार्रवाई करने की स्थिति में होगी. कर्षण पावर नियंत्रक स्थिति से निपटने हेतु शीघ्र और तत्परता से कार्रवाई करने के लिए हमेशा तैयार रहेगा. परिस्थितियों की मांग के अनुसार सहायता प्राप्त करने के लिए निकटवर्ती मंडलों के अलावा वह फील्ड पदाधिकारी, प्रधान कार्यालय के अधिकारियों से निरंतर संपर्क बनाए रखेगा.

- (i) सहायक मंडल विद्युत इंजीनियर अपने-अपने संबंधित मुख्यालयों में रहेंगे. उनका आगे का गमनागमन, चक्रवात के कारण ओएचई/पीएसआई संस्थापनाओं को पहुंची क्षति के आधार पर वरिष्ठ मंडल विद्युत इंजीनियर/कर्षण वितरण द्वारा निदेशित होगा.
- (ii) कर्षण वितरण शाखा के सभी वरिष्ठ पर्यवेक्षक एवं अधिकारी कर्षण पावर नियंत्रक को अपने गमनागमन से अवगत रखेंगे. ये अनुदेश ओएचई और पीएसआई डिपुओं के अन्य महत्वपूर्ण कर्मियों पर भी लागू होंगे.

8.8 मानसून के दौरान ओएचई/पीएसआई डिपो प्रभारी द्वारा कार्रवाई :

- (i) ओएचई/पीएसआई डिपो प्रभारी मौसम/चक्रवात चेतावनी प्राप्त होने पर, किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहेगा और आपातकालीन कर्मचारी को सतर्क रहने और उन्हें मुख्यालय में उपलब्ध रहने को कहेगा. वे अल्प सूचना पर जाने के लिए तैयार रहेंगे.
- (ii) वह
 - (a) वह बाढ़ से प्रभावित सेक्शनों में तटबंधों पर मिट्टी के कटाव, मास्ट नींव के खुलने आदि पर ध्यान देने के लिए सेक्शन में पैदल गश्त की व्यवस्था करेगा.
 - (b) वह खुली मास्ट नींव पर उपयोग करने और मिट्टी के कटाव के बचाव के लिए वसेइंजी/ रेलपथ द्वारा प्राप्त पत्थर, रेती, खाली सीमेंट की थैलियां आदि का पर्याप्त स्टॉक सुनिश्चित करें.

- (iii) सभी ब्रेक डाउन वाहन अर्थात् टॉवर कार, ट्रक, जीप, मोटर ट्रालियां वायरिंग ट्रेन आदि को अच्छी स्थिति में और पर्याप्त मात्रा में डीज़ल का स्टॉक रखा जाए. सभी ब्रेक डाउन वाहनों के हेड लाइट, अतिरिक्त बत्ती सहित अच्छी स्थिति में रखा जाए.
- (iv) लैडर ट्रालियों, ब्रेकडाउन औजार एवं संयंत्रों, पूरे ईंधन के साथ पेड काटने की मशीनें, कुल्हाड़ी, आरी, सीड़ी और पूरे पुर्जों सहित आपत्ती औजारों को तैयार रखा जाए.
- (v) अस्थायी मास्ट की पहचान की जाए तथा इनके पूर्णतः संयोजन की उपलब्धता और उपयोग के लिए तैयारी की जांच की जाए. सभी ऊपरी उपस्कर ब्रेकडाउन सामग्री जैसे- अस्थायी मास्ट, कंडक्टरों, इंसुलेटरों, फिटिंगों को ब्रेक डाउन वाहनों में लादा जाए और तैयार रखा जाए.
- (vi) आरसी संचार/एससीएडीए खराबियों के मामले में स्विचिंग स्टेशनों की पहचान की जाए और आवश्यकता के आधार पर कर्मचारियों की व्यवस्था की जाए.
- (vii) टॉवर कॉर, ट्रकों के लिए जनरेटर सेट, सुवाह्य फ्लड लाइट, प्रकाश व्यवस्था सही स्थिति में रखी जाए.
- (viii) वॉकी-टॉकी सेटों, हथ टार्च आदि को पूरी चार्जिंग स्थिति में रखा जाए, आपाती टेलीफोन और सीयूजी मोबाइल फोन को तैयार रखा जाए.
- (ix) दरार वाले स्थल की मरम्मत करते समय उस स्थल के दोनों सिरों पर टावर कार खड़ी की जाए.
- (x) फुट प्लेट लगाए जाएं और पैदल गश्त की व्यवस्था बांडिंग, अर्थिंग या ओएचई के पास किसी पेड न होने या किसी पेड के ओएचई पर गिरने की संभावना को देखने के लिए की जाए. वसेइजी को चाहिए कि वे उन सभी स्थितियों को ठीक करवाएं, जिससे कर्मचारियों की संरक्षा और गाड़ी का संचलन प्रभावित होता हो.

8.9 मंडल का विद्युत (सामान्य सेवा) स्कंध निम्नलिखित को तैयार रखना सुनिश्चित करेगा :-

- (i) उपलब्ध डी.जी.सेट को 24 घंटे चलाने के लिए ईंधन का पर्याप्त स्टॉक.
- (ii) प्रत्येक डिपो में अच्छी स्थिति में कम से कम 2 सुवाह्य डी जी सेट.
- (iii) विद्युत और सिगवदूइजी कर्मचारियों की आवश्यकता सहित 4 नग पोर्टेबल वेदर प्रूफ टेंट.
- (iv) स्थल पर आपरेटरों सहित डी जी सेट उपलब्ध कराने की क्षमता रखने वाले ठेकेदारों की सूची और उनके टेलीफोन नंबर तथा अल्प सूचना पर तैनाती की व्यवस्था.

भाग- बी
बाढ़ और चक्रवात

9. पूर्वी तट को चक्रवाती तूफान से खतरा होने पर की जानेवाली कार्रवाई :

प्रथम चरण चेतावनी संदेश

9.1 संदेशों की प्राप्ति और संप्रेषण :

9.1.1 चक्रवात चेतावनी केंद्र, विशाखपट्टणम, वायु दाब कम होने या बंगाल की खाड़ी से आनेवाले चक्रवाती तूफान के बारे में आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्रों को प्रतिकूल मौसम चेतावनी संदेश तभी देगा, जब तूफान सागर में ही होगा.

9.1.2 चक्रवात चेतावनी, दो चरणों में जारी की जाएगी. पहली चेतावनी (चक्रवात चेतावनी) तब जारी की जाएगी, जब चक्रवाती तूफान का पता तट से इतनी दूरी पर चलता है, जहां से तटीय क्षेत्रों का मौसम अगले 48 घंटों में खराब होने की आशंका हो. इसके बाद, दूसरे चरण की चेतावनी (चक्रवात चेतावनी) संदेश तब जारी किया जाएगा जब उस क्षेत्र में चक्रवात का वास्तविक खतरा हो. बाद में भी, उस क्षेत्र में खतरा समाप्त होने तक चक्रवात की अद्यतन स्थिति बताते हुए चक्रवात चेतावनी केंद्र द्वारा संदेश जारी किये जाते हैं. चक्रवात चेतावनी केंद्र से जारी मौसम बुलेटिन, दूरदर्शन और आकाशवाणी केंद्रों से प्रतिदिन नियमित रूप से प्रसारित किए जाते हैं. अन्य इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया और संबंधित राज्य सरकारों को भी बुलेटिन उपलब्ध किए जाते हैं. तूफान के समय, विशेष मौसम बुलेटिन को अनिर्धारित समय में भी बार-बार प्रसारित किया जाता है.

9.1.3 मुख्य नियंत्रक, विजयवाडा मंडल, दक्षिण मध्य रेलवे, विजयवाडा और मुख्य नियंत्रक, केंद्रीय नियंत्रण, रेल निलयम, सिकंदराबाद - 500 025 - ये दो नामित अधिकारी हैं, जिन्हें चक्रवात चेतावनी केंद्र, विशाखपट्टणम द्वारा उपर्युक्त चेतावनी जारी की जाती है..

9.1 संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा की जानेवाली कार्रवाई :

9.2.1 दबाव/चक्रवाती तूफानों के संबंध में पहले चरण की चेतावनी संदेश प्राप्त होने पर.मुख्य नियंत्रक, केंद्रीय नियंत्रण, रेल निलयम, सिकंदराबाद सतर्क रहें और उपर्युक्त पैरा 7.1 में विनिर्दिष्ट कार्रवाई तत्काल करें. वे चक्रवात चेतावनी की सूचना भी दें और यदि चक्रवात के उनके मंडलों को प्रभावित करने की आशंका हो,तो मुख्य नियंत्रक/ सिकंदराबाद ,गुंटूर और गुंतकल मंडल को सतर्क करें.

9.2.2 मुख्य नियंत्रक, विजयवाडा सतर्क रहें और पैरा 7.2 में विनिर्दिष्ट कार्रवाई तत्काल करें.

9.2.3 प्रधान कार्यालय,विजयवाडा, सिकंदराबाद, गुंतकल, गुंटूर मंडल के निम्नलिखित इंजीनियरी विभाग के अधिकारी रवाना होकर निम्नलिखित स्टेशनों पर उपलब्ध रहें-

(विजयवाडा मंडल के टीएचओडी अपने विवेक से स्थिति की गंभीरता के आधार पर विजयवाडा के लिए रवाना होंगे.)

वरिष्ठ मंडल इंजीनियर/मंडल इंजीनियर (दक्षिण)/विजयवाडा		बिट्टरगुंटा पर
वरिष्ठ मंडल इंजीनियर/ मंडल इंजीनियर (मध्य)/विजयवाडा		बापट्ला पर
मंडल इंजीनियर/ मंडल इंजीनियर (पूर्व)/विजयवाडा		भीमवरम पर
वरिष्ठ मंडल इंजीनियर/ मंडल इंजीनियर (उत्तर)/विजयवाडा		सामलकोट पर
वरिष्ठ मंडल इंजीनियर/समन्वय/गुंटूर		गुंटूर पर
वमंडंजी/मंडंजी/द/सिकंदराबाद		डोर्नकल जंक्शन पर
वमंडंजी/ मंडंजी/उ/सिकंदराबाद		बेल्लमपल्ली पर
वमंडंजी/ मंडंजी/प/सिकंदराबाद		विकाराबाद पर
वमंडंजी/ मंडंजी/द/गुंतकल		रेणिगुंटा पर
वमंडंजी/ मंडंजी/उ/गुंतकल		रायचूर पर
वमंडंजी/ मंडंजी/उ/गुंटूर		नडिकुडि पर
मंडंजी/ मंडंजी/प/गुंटूर		नंद्याल पर

9.2.4 सहायक मंडल इंजीनियर अपने संबंधित मुख्यालय में ही रहेंगे. चक्रवात का प्रभाव महसूस किए जाने पर उनकी अगली गतिविधि, स्थिति की आवश्यकता को ध्यान में रखकर उनके स्वविवेक पर आधारित होगी और इस संबंध में उनका मार्गदर्शन टीएचओडी द्वारा किया जाएगा, जो विजयवाडा से या सिकंदराबाद से वरि.मंडंजी/स/विजयवाडा के माध्यम से परिचालन के निदेश देंगे.

9.2.5 जब लैंड लाइन संचार व्यवस्था खराब हो जाए, तब सर्वसंबंधित को चेतावनी प्रसारित करने के लिए स्टेशन पर उपलब्ध वीएचएफ सेट/सैटिलाइट फोन सहित सीयूजी मोबाइल फोन की सेवाओं का, जैसा भी मामला हो, उपयोग किया जाए. चक्रवात संदेशों के निपटान को उच्च प्राथमिकता दी जाए.

10. चक्रवात के संबंध में दूसरे चरण की चेतावनी प्राप्त होने पर तत्काल निम्नलिखित कार्रवाई की जाए :

10.1.1 मुख्य नियंत्रक, विजयवाडा अगले बुलेटिन प्राप्त करने के लिए आकाशवाणी, विजयवाडा तथा मौसम विज्ञान विभाग, विशाखपट्टणम से संपर्क बनाए रखेंगे और उन्हें सर्वसंबंधित को सूचित करेंगे. मौसम विज्ञान विभाग ने आकाशवाणी से मौसम संबंधी बुलेटिन (घंटों के अंतराल पर) तथा आकस्मिक/अप्रत्याशित घटनाओं की सूचना रेडियो स्टेशन को मिलते ही प्रसारित करने की व्यवस्था की है. इस प्रयोजन के लिए, मुख्य नियंत्रक/विजयवाडा को चाहिए कि वे नियंत्रण कार्यालय में उपलब्ध रेडियो और दूरदर्शन पर बुलेटिनों को सुनें तथा चक्रवात चेतावनी के संबंध में सर्वसंबंधित को सूचित करें.

10.1.2 मंडल रेल प्रबंधक/विजयवाडा, मंडल के एक वरि.यातायात अधिकारी और वरिष्ठ इंजीनियरी अधिकारी को अन्य सभी शाखाओं और स्थानीय सिविल प्राधिकारियों के साथ समन्वय बनाए रखने के लिए प्रतिनियुक्त करेंगे. उक्त अधिकारी स्थानीय स्थिति के अनुसार उन क्षेत्रों में गाड़ियों सेवा को विनियमित/ मार्ग-परिवर्तन/रद्द करने के लिए जिम्मेदार होंगे, जिनके चक्रवात द्वारा प्रभावित होने की संभावना हो.

10.1.3 चक्रवात खतरे के निकट होने के मामले में, गाड़ियों को रद्द करना और गाड़ियों का विनियमन सेक्शन में ऐसे उपयुक्त स्थान पर करने की सलाह दी जाती है, जहां खानपान की सुविधा उपलब्ध हो और किसी भी परिस्थिति में यात्री गाड़ियों को असहाय छोड़ने की

अनुमति न दी जाए. इस प्रयोजन के लिए, मंडल रेल प्रबंधक निगरानी के लिए एक वरिष्ठ वाणिज्य अधिकारी को तैनात करेंगे.

10.1.4 चक्रवात से प्रभावित न होने वाले जिलों के मामले में "डी-वॉर्निंग " संदेश भेजा जाएगा.

10.1.5 मंडल मुख्यालय के सहायक विद्युत इंजीनियर (कर्षण वितरण) को अन्य सभी शाखाओं से संपर्क बनाए रखने के लिए स्वयं कर्षण पॉवर नियंत्रक के कक्ष में रहना होगा. उक्त अधिकारी, परिस्थिति के आधार पर शीघ्र कार्रवाई करने के लिए जिम्मेदार होगा. यदि समंविइंजी (क.वि) को भी स्थल पर जाना पड़े या वे मुख्यालय में उपलब्ध न हो, तो मंडल मुख्यालय में उपलब्ध अन्य अधिकारी जैसे वरि.मंविइंजी (अनु), उपमविइंजी/नि, मंविइंजी (नि), समंविइंजी (नि) इस क्रम में टीपीसी पर कार्य करेंगे.

10.1.6 गाड़ियों का नियंत्रण : संचार व्यवस्था भंग होने पर, स्टेशन मास्टर पैरा 7.3.2 में बताए अनुसार ही कार्रवाई करेगा.

10.2 एनेमोमीटर :

10.2.1 विशेष रूप से चुने हुए पुल पर, पुल के किसी समीपवर्ती स्टेशन पर एनेमोमीटर संस्थापित किए जाते हैं. जब हवा का वेग उस पुल के लिए निर्धारित खतरे की सीमा से अधिक होता है, तब यदि स्टेशन मास्टर के कार्यालय में स्थित एनेमोमीटर ऑडीओविजुअल बज़र को सक्रिय करता है, तो स्टेशन मास्टर को चाहिए कि वे निम्नलिखित कार्रवाई करें-

ए) स्टेशन मास्टर पावती बटन को दबाकर बज़र की पावती देगा, जिस पर बज़र बंद हो जाएगा.

बी) स्टेशन मास्टर, दूसरी ओर के सेक्शन नियंत्रक और स्टेशन मास्टर को तुरंत गाड़ियों के संचलन को नियंत्रित करने की आवश्यकता के बारे में सूचित करेगा.

सी) स्टेशन मास्टर अपने स्टेशन से गाड़ियों का संचलन आरंभ नहीं करेगा या अनुमत नहीं करेगा और अपने स्टेशन के लिए समीपवर्ती स्टेशन पर प्रतीक्षा कर रही गाड़ियों को लाइन क्लियर नहीं देगा.

डी) वह खतरे की सीमा स्तर से हवा का वेग कम होने पर समीपवर्ती स्टेशन के सेक्शन नियंत्रक और स्टेशन मास्टर के परामर्श से गाड़ियों के सामान्य चालन को पुनः बहाल करेगा .

ई) प्रत्येक मंडल में संस्थापित एनेमोमीटर का विवरण:

इस रेलवे पर 30 पुलों का चयन एनेमोमीटर के संस्थापन के लिए किया गया है:

विजयवाडा: 10 पुल; सिकंदराबाद: 5 पुल; गुंतकल: 7 पुल; गुंटूर: 3 पुल;
हैदराबाद: 3 पुल और नांदेड़: 2 पुल. उन पुलों की सूची, जहां एनेमोमीटर संस्थापित किए गए हैं, अनुबंध-बी में है.

10.3 चक्रवात के कारण गाड़ियों को रोक रखने के मामले में की जाने वाली कार्रवाई -सामान्य

10.3.1 मंरेप्र द्वारा नामित वरिष्ठ यातायात अधिकारी द्वारा

(i) विजयवाडा रेलवे स्टेशन पर एक सार्वजनिक उद्घोषणा प्रणाली के साथ एक जांच कार्यालय तुरंत खोला जाए ताकि रुकी हुई गाड़ियों, राहत कार्यों और यानांतरण, खाद्य पैकेटों की आपूर्ति आदि के बारे में जानकारी प्रसारित की जा सके. मंरेप्र इस उद्देश्य के लिए एक वाणिज्य अधिकारी को तैनात करेगा.

- (ii) वह रेलवे स्टेशनों पर चिकित्सा अधिकारी/कार्मिकों को तैनात करने की व्यवस्था करेगा, जहां गाड़ियां रुकी हुई हैं और जहां सुविधाएं मौजूद हैं। बाहरी स्टेशन या अन्य स्थानों पर, वह जिला कलेक्टर या स्थानीय विशेष पुलिस अधिकारी से संपर्क करेगा, जो आवश्यक व्यवस्था करेंगे।
- (iii) जहाँ रेलपथ की मरम्मत में अधिक समय लगने की संभावना हो, वहाँ सड़क परिवहन निगम के परामर्श से फंसे हुए यात्रियों के त्वरित यानांतरण के लिए योजना बनाएगा। मरेप्र इस प्रयोजन के लिए एक वाणिज्य अधिकारी को तैनात करेगा।

10.3.2 स्टेशन मास्टर द्वारा .

- (i) ज्यूटीरत स्टेशन मास्टर तुरंत अपने स्टेशन में रुकी हुई गाड़ियों के बारे में तहसीलदार / एमआरओ, राजस्व मंडल अधिकारी या उप कलेक्टरों और क्षेत्र के कलेक्टर को सूचित करेंगे।
- (ii) ज्यूटीरत स्टेशन मास्टर फंसे हुए यात्रियों को पीने के पानी के साथ-साथ खाने के पैकेटों और बच्चों के लिए दूध और बिस्कुट की पर्याप्त व्यवस्था करने में स्थानीय राजस्व अधिकारियों की सहायता लेंगे। वाणिज्य कर्मचारियों को चाहिए कि वे भोजन की आपूर्ति के लिए व्यवस्था करें।
- (iii) पूर्व चक्रवात और चक्रवात के बाद की अवधि के दौरान उनके द्वारा किए जाने वाले पूर्वोपायों के लिए कर्मचारियों को सलाह - पैरा 11 में "सुरक्षा के लिए नुस्खे" में सूचीबद्ध हैं।

10.4 आपातकाल के दौरान संपर्क करने के लिए एनडीआरएफ के टेलीफोन नंबर

10.4.1 राष्ट्रीय आपदा राहत बल (एनडीआरएफ) के पते और टेलीफोन नंबर

राष्ट्रीय आपदा राहत बल (एनडीआरएफ) के पते और टेलीफोन नंबर				
क्रम सं.	मंडल	डाक पता	पदनाम	सम्पर्क नंबर
1	गुंतकल, सिकंदराबाद, हैदराबाद, विजयवाडा, गुंटूर. आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों के लिए	10 वीं बीएन एनडीआरएफ, एनयू कैपस, नागार्जुन नगर, गुंटूर (आ.प्र) पिन -	कमांडेंट	फोन: 0863-2293178 फैक्स: 0863-2293050 यूनिट कंट्रोल रूम फोन: 0863-2293050 मोबाइल: 08333068559 ई-मेल: ap10ndrf@nic.in
2	नांदेड़, सिकंदराबाद, महाराष्ट्र और तेलंगाना के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों के लिए	5 वीं बीएन एनडीआरएफ, सुदुम्बरे तालुका, जिला - मावल पुणे (महाराष्ट्र) पिन - 412109	कमांडेंट	फोन: 02114-247010 फैक्स: 02114-247008 यूनिट कंट्रोल रूम फोन: 02114-247000 मोबाइल: 09422315628 ई-मेल: mah05ndrf@nic.in
3	गुंतकल, तमिलनाडु के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों के लिए (केपीडी पीकेएल सेक्शन के भाग)	4 वीं बटालियन एनडीआरएफ, पीओ- सुरक्षा परिसर, अरकोनम, वेल्लोर जिला तमिलनाडु 631152	कमांडेंट	फोन: 04177-246269 फैक्स- 04177-246594 यूनिट कंट्रोल रूम फोन: 04177-246594 व मोबाइल: 09442140269 ई-मेल: tn04-nrf@nic.in

4.	मध्य प्रदेश राज्य के अंतर्गत आने वाले नांदेड़ (अकोला – खंडवा सेक्शन) का एक हिस्सा	11वीं बीएन एनडीआरएफ, संस्कृतिकसंकुल, मकबूल आलम रोड, वाराणसी, यूपी – 221002	कमांडेंट	फोन: 0542-2501201 फैक्स: 0542 – 2501101 यूनिट कंट्रोल रूम फोन: 0542-2501101 मोबाइल: 08004931410 ई-मेल: up-ndrf@nic.in
----	---	--	----------	---

एनडीआरएफ आरआरसी		
क्र.सं.	आरआरसी का नाम	संपर्क नं.
1	एनडीआरएफ आरआरसी, वैजाग स्टील प्लांट, विशाखापट्टणम, आंध्र प्रदेश	08333068565, 08333068560
2	एनडीआरएफ आरआरसी, फायर स्टेशन महादेवपुरा, बेंगलुरु, कर्नाटक	09482978719, 09482978715
3	एनडीआरएफ आरआरसी, शेकपेट स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स, हैदराबाद, तेलंगाना,	08333068536 08333068547

10.4.2 आंध्र प्रदेश सरकार के महत्वपूर्ण सम्पर्क नंबर		
क्र. सं.	पदाधिकारी व पता	संपर्क नं. व ई-मेल आईडी
1	विशेष आयुक्त (आपदा प्रबंधन प्राधिकारी) और पदेन - आयुक्त, सरकार के एडिशनल सचिव,	0863-2377099 commr_relief_rev@ap.gov.in, md-apsdma@ap.gov.in
2	कार्यपालक निदेशक, जिनियस जेआर टावर्स, डी. नंबर: 21/2 बी, पथुरु क्रॉस रोड सेंटर, कुंचनपल्ली (पीओ), ताडेपल्ली मंडल, गुंटूर जिला, आंध्र प्रदेश पिन-522501.	0863-2377105 +91-9676957788, +91 8645246600 ed-apsdma@ap.gov.in
3.	प्रशासनिक अधिकारी	+91-8333905039
4.	एसईओसी (राज्य आपातकालीन संचालन केंद्र) प्रभारी, जिनियस जेआर टावर्स, डी. नंबर: 21/2 बी, पथुरु क्रॉस रोड सेंटर, कुंचनपल्ली (पीओ), ताडेपल्ली-मंडल, गुंटूर जिला, आंध्र प्रदेश पिन 522,501	+91-8333905033 +91 8645246600 seoc-apsdma@ap.gov.in

10.4.3 आपाती स्थिति के दौरान महत्वपूर्ण संपर्क फोन नंबर

क्र.सं.	विभाग	संपर्क संख्या
1.	कमांडर मुख्यालय सेना	04027862278 व 27862086
2.	विंग कमांडर/वायु सेना	04027862282 एक्स. 407
3.	ग्रुप कैप्टन, एयर फोर्स	04027753905 व 27753500
4.	आपदा प्रबंधन (रेल निलयम)	04027821488 व 27821430

5.	बाढ़ नियंत्रण कक्ष (जलाशय और बांध)	04023390794 व 23390797
----	------------------------------------	------------------------

11. संरक्षा के नुस्खे (सर्वसंबंधित के लिए सामान्य सूचना)

11.1 चक्रवात मौसम आरंभ होने से पहले उठाये जाने वाले कदम:

- घरों की जांच करें, जहां कहीं आवश्यक हो, ढीले टाइलों को सीमेंट लगाकर सुरक्षित करें, दरवाजों और खिड़कियों की मरम्मत करें.
- घर के चारों ओर के क्षेत्रों की जांच करें, सूखे या मृत वृक्षों को हटाएं, इमारती लकड़ी के ढेरों, जस्ते की शीटों, ढीली ईंटों, कूड़ा करकट के डिब्बों, साइन बोर्डों आदि हटाई जाने वाली वस्तुओं को कसकर बांध दें.
- लकड़ी के कुछ तख्तों को तैयार रखें ताकि उन्हें कांच की खिड़कियों पर चढ़ाया जा सके.
- मिट्टी के तेल से भरी लालटेन, पर्याप्त ड्राई सेल सहित फ्लैश बत्तियां रखें.
- बेकार इमारतों को तत्काल गिरा दें.
- जिनके पास रेडियो/टेलीविजन सेट है, वे यह सुनिश्चित करें कि रेडियो पूरी तरह चालू हालत में हैं. ट्रंजिस्टर के मामले में बैटरियों का एक अतिरिक्त सेट तैयार रखा जाए.

11.1.2 क्षेत्र को चक्रवाती खतरा होने की चेतावनी प्राप्त होने पर किए जानेवाले उपाय

- अपना रेडियो/टेलीविजन चालू रखें और निकटतम आकाशवाणी स्टेशन से प्रसारित अद्यतन मौसम चेतावनी और सूचनाओं को सुनें. यह सूचना दूसरों को भी दें.
- अफवाहों से बचें. रेडियो से प्राप्त केवल सरकारी सूचना ही दूसरों को दें.
- निचले तल की दरारों या अन्य स्थान, जो उच्च ज्वार या तूफानी लहरों से बह सकते हों, से दूर हो जाएं. बाढ़ आने से काफी पहले ही अपना स्थान छोड़ दें, ताकि ऊंचे स्थान पर जाने तक आपके मार्ग पर बाढ़ का पानी न आ जाए. विलंब न करें जिससे असहाय होने का खतरा हो.
- यदि आपका घर उच्च ज्वार और नदी के बाढ़ के खतरे से बाहर और मजबूत है, तो संभवतः तूफान से बचने के लिए यह स्थान उत्तम होगा. फिर भी, यदि खाली करने के लिए कहा जाए, तो शीघ्र खाली कर दें.
- भारी वर्षा के कारण नालों या नदियों में बाढ़ की संभावना वाले क्षेत्रों में उच्च जल स्तर से सावधान रहें.
- शीशे की खिड़कियों को तख्तों से पाट दें अथवा उस स्थान पर स्टॉर्म शटर लगायें. अच्छी लकड़ी के फलकों का उपयोग करें, जो सुरक्षा की दृष्टि से मजबूत हों. कमजोर तख्ते लगाने से लाभ के बजाय, अधिक हानि हो सकती है. बाहर के दरवाजों के लिए मजबूत उपयुक्त टेक उपलब्ध कराएं.
- यदि आपके पास लकड़ी के तख्ते तैयार नहीं हैं, तो शीशों पर पट्टियां चिपकाएं ताकि स्पिनटर्स को घर में उड़ कर आने से रोका जा सके.
- अतिरिक्त खाद्य पदार्थ रखें, विशेषकर ऐसी चीजें, जिन्हें बिना पकाए या बहुत कम तैयारी के साथ खाया जा सके. अच्छी तरह ढके हुए बर्तनों में पीने का अतिरिक्त पानी भरकर रखें.
- यदि बाढ़ का पानी आपकी निचली मंजिलों में भर जा रहा है, तो बाढ़ के नुकसान को कम करने के लिए अपनी बहुमूल्य वस्तुओं को ऊपरी मंजिल पर ले जाएं.
- हरिकेन लालटेनों, फ्लैश बत्तियों और अन्य आपाती बत्तियों को चालू स्थिति में अपने पास संभाल कर रखें.

- (xi) ऐसी सभी वस्तुओं की जांच करें जिसके उड़ने या फटने की संभावना हो। मिट्टी के तेल के टीन, कैन, कृषि उपकरण, बगीचे के औजार, सड़क संकेत तथा अन्य वस्तुएँ तूफानी हवाओं में विनाश के हथियार बन जाते हैं, उन्हें हटा दें और बंद कमरे में रखें।
- (xii) सुनिश्चित करें कि घर की एक खिड़की या दरवाजा को घर के दूसरी ओर अर्थात् तेज हवा की विपरीत दिशा की ओर खोला जा सके।
- (xiii) बच्चों और वयस्कों, जिन्हें विशेष आहार की आवश्यकता हो, के लिए उनकी व्यवस्था करें।
- (xiv) यदि तूफान का केंद्र सीधा आपके स्थान से होकर गुजरता है, तो हवा में अधिक दबाव होगा और आधे घंटे या उससे अधिक समय तक वर्षा होती रहेगी। इस अवधि के दौरान सुरक्षित स्थान पर रहें। यदि आवश्यकता हो, तो हवा का वेग थमे रहने की अवधि के दौरान आपाती मरम्मत कर लें, लेकिन यह ध्यान रहे कि तेज हवा विपरीत दिशा से अचानक बार-बार और अधिक प्रचंड रूप में लौटेगी।
- (xv) शांत रहें, आपकी आपातकाल से निपटने की क्षमता दूसरों को प्रोत्साहित करेगी और उनकी सहायता करेगी।

11.1.3 जब प्राधिकारी स्थान खाली करने की सलाह दें, तो निम्नलिखित अनुदेशों का तत्काल अनुपालन करें -

- (i) आपके क्षेत्र के उचित आश्रय या निर्दिष्ट निकासी स्थल की ओर जाएं।
- (ii) अपनी पीछे छूटी हुई सम्पत्ति के लिए चिन्तित न हो, क्योंकि खाली किए गए क्षेत्रों में लूट से बचाव के लिए पुलिस की व्यवस्था होगी।
- (iii) आश्रय स्थल पर प्रभारी कार्मिक के अनुदेशों का पालन करें।
- (iv) आश्रय स्थल में तब तक रहें, जब तक कि आपको वहां से जाने को न कहा जाए।
- (v) हर समय शान्त रहें। यदि अनुदेशों का पालन तत्परता से किया जाए, तो व्यक्तिगत क्षति कम होगी।

11.1.4 चक्रवात के बाद किए जाने वाले उपाय :

चक्रवात गुज़रने के बाद, कर्मचारियों को निम्नलिखित उपाय करने की सलाह दी जाती है :

- (i) वे आश्रय स्थल पर तब तक रहें, जब तक कि प्रभारी द्वारा उन्हें घर लौटने की सूचना न दी जाए।
- (ii) वे बीमारी से बचाव के लिए निकटतम अस्पताल में तुरंत टीके लगवाएं और घायल या बीमार व्यक्ति चिकित्सा करवाएं।
- (iii) बिजली के खंभ के ढीले और लटकते हुए तारों से बचा जाए (एक व्यक्ति को निगरानी के लिए रखा जाए ताकि कोई भी तार के समीप न जाए और निकटतम प्राधिकारियों को तुरंत सूचित किया जाए)।
- (iv) लोग विपदाग्रस्त क्षेत्रों से दूर रहें, जब तक कि उनकी सहायता की आवश्यकता न हो।
- (v) समाज विरोधी तत्वों को शरारत करने से रोका जाए और पुलिस को रिपोर्ट की जाए।
- (vi) कारों, बसों, लॉरियों और ठेलों को सावधानीपूर्वक चलाया जाए।
- (vii) घरों और अन्य निवास स्थानों के मलबे को साफ किया जाए।

- (viii) क्षति के बारे में उचित प्राधिकारियों को सूचित किया जाए. यह ध्यान रहे कि क्षति को बढ़-चढ़ कर बताना समाज विरोधी है.
- (ix) विपदाग्रस्त क्षेत्रों के व्यक्तियों की संरक्षा के बारे में, उनके संबंधियों को तत्काल सूचित किया जाए.
